

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

संचिका संख्या: वि० 1-08/1997-452

/पटना, दिनांक:-

24 अप्रैल, 2025

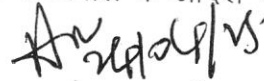
अधिसूचना

एस०ओ०-

बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम 1981 की धारा-7 की उपधारा (1) (2) (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ मेसर्स मझौलिया सुगर इण्डस्ट्रीज, मझौलिया, पश्चिम चम्पारण के आरक्षित क्षेत्र के लिये मझौलिया क्षेत्रीय विकास परिषद् का तीन वर्षों के लिये पुनर्गठन करते हैं। इसके पुनर्गठन की तिथि से पूर्व में इस आरक्षित क्षेत्र के लिये गठित परिषद् स्वतः विघटित समझी जायेगी। पुनर्गठित क्षेत्रीय विकास परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

1. जिला पदाधिकारी सह-समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण — अध्यक्ष
2. ईख पदाधिकारी, बेतिया अंचल बेतिया — सचिव
3. सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया — सदस्य
4. जिला अभियन्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया — सदस्य
5. चीनी मिल के परम्परागत आरक्षित क्षेत्र से गन्ना क्रय करने वाली चीनी मिल के महाप्रबंधक/दखलकार के प्रतिनिधि महाप्रबंधक, मझौलिया सुगर इण्डस्ट्रीज, मझौलिया, पश्चिम चम्पारण। — सदस्य
6. ईखोत्पादक प्रतिनिधि :-
 - (क) श्री विनय कुमार शाही, — सदस्य
पिता-श्री बैद्यनाथ शाही,
ग्राम-चनायन बाँध, पोस्ट-चनायन बाँध थाना-मझौलिया,
जिला-पश्चिम चम्पारण मोबाईल संख्या-8809189379
 - (ख) श्री मनु कुमार, — सदस्य
पिता-सुरेन्द्र प्रसाद,
ग्राम-लाल सरैया, टोला गोरा सेमरा,
वार्ड संख्या-15, पोस्ट-कठैया, थाना-मझौलिया,
जिला-पश्चिम चम्पारण, 845454, मोबाईल संख्या-7903275600
 - (ग) श्री रूपक कुमार श्रीवास्तव — सदस्य
पिता-आद्या प्रसाद,
ग्राम-कोतराहा, टोला-मंगलपुर गुदरिया, वार्ड संख्या-04,
पोस्ट-मंगलपुर गुदरिया, थाना-नौतन,
जिला-पश्चिम चम्पारण, 845459, मोबाईल संख्या-9939421365
 - (घ) श्री दयानिधि पाण्डेय, — सदस्य
पिता-श्री लक्ष्मीकांत पाण्डेय,
ग्राम+पोस्ट-मठियाबूत, थाना-मझौलिया,
जिला-पश्चिम चम्पारण, मोबाईल संख्या-8789513005

बिहार राज्यपाल के आदेश से



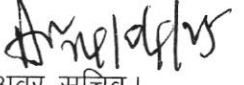
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या: वि० 1-08/1997-452

/पटना, दिनांक:- 24 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि :- प्रभारी, वित्त विभाग (ई-गजट, प्रशाखा) बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

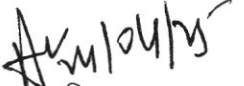
अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 100 (एक सौ) अतिरिक्त प्रतियाँ गन्ना उद्योग विभाग को उपलब्ध करायी जाय।


अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या: वि० 1-08/1997-452

/पटना, दिनांक:- 24 अप्रैल, 2025

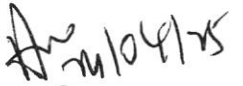
प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय विकास परिषद्, मझौलिया के अध्यक्ष/सदस्य सचिव एवं अन्य सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या: वि० 1-08/1997-452

/पटना, दिनांक:- 24 अप्रैल, 2025

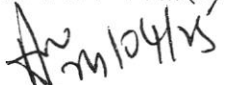
प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार, पटना के निजी सहायक/सभी ईख पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।


अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या: वि० 1-08/1997-452

/पटना, दिनांक:- 24 अप्रैल, 2025

प्रतिलिपि :- आई०टी०प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


अवर सचिव।